छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 511/2007</u>

श्री विल्सन डीसूजा,
(पूर्व पार्षद)
नगर पालिक निगम, दुर्ग,
तकिया पारा वार्ड–7,
स्टेशन रोड, दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय नगर पालिक निगम,
दुर्ग (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 07 मार्च 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री विल्सन डीसूजा द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, दुर्ग के समक्ष दिनांक 27–02–2007 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सूचना निर्धारित समयावधि में न मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 16–04–2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 08–05–2007 को आदेश पारित किया, जिससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष उनके द्वारा दिनांक 18–05–2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय–पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को विलम्ब हेतु 20,000/–रुपये शास्ति का कारण बताओ सूचना–पत्र भी जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जन सूचना अधिकारी ने बताया कि रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसकी राजस्व विभाग में काफी खोज की गई और आयोग के आदेशानुसार पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उत्तरदायित्व निर्धारण कर श्री रमेश शर्मा के विरूद्ध विभागीय जाँच की कार्यवाही भी प्रारंभ की गई। प्रकरण में अपीलार्थी ने यह तर्क प्रस्तुत किये हैं कि नस्ती से संबंधित कुछ अन्य दस्तावेज भी रसीद बुक, निविदा पंजी आदि ढूंढकर भी संबंधित जानकारी उन्हें दी जानी चाहिये थी। चूँकि प्रकरण में कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होता है। अतः उत्तर संतोषप्रद मान्य करके जारी कारण बताओ सूचना–पत्र निरस्त किया जाता है। किन्तु प्रकरण में विलम्ब के कारण अपीलार्थी को जो आर्थिक/मानसिक क्षति हुई है उसके लिये धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत यह निर्देश दिया जाता है कि नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर से अपीलार्थी को 300/–रुपये (तीन सौ रुपये मात्र) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान की जाये। साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि विभागीय जाँच में शीघ्र निर्णय लिया जाकर उसके अंतिम निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को एवं आयोग को भी दी जावे और साथ

ही इस नस्ती से संबंधित अन्य कोई रिकार्ड जैसे रसीद बुक या निविदा पंजी आदि हों तो उनकी प्रति अपीलार्थी को 15 दिन में निःशुल्क प्रदान की जावे।

3/ अतः उक्त निर्देशों के साथ यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त